[निजी प्रसार के लिए]

अंक २९ नई दिल्ली, जुलाई २०१२

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'पुलिस सुधार के लिए कहीं न कहीं पुलिस पर विश्वास करना ही होगा'

श्री कमल कुमार

श्री कमल कुमार (सेवानिवृत्त आई.पी.एस.) पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से पुलिसिंग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर ज़ीनत मलिक का विशिष्ट साक्षात्कार।

सर, आपको पुलिसिंग में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को मापने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों में से एक माना जाता है, इसलिए सबसे पहले मैं थाना स्तर के पुलिसकर्मियों के लिए वर्तमान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बारे में आपके विचार जानना चाहूँगी। क्या यह वर्तमान पुलिसिंग के मुद्दों से निपटने के लिए उन्हें कुशलता प्रदान करने के लिए र्प्याप्त है या फिर इसमें बदलाव की आवश्यकता है ?

इस विषय पर सारे राज्यों के बारे में एक आम विचार व्यक्त करना कठिन है क्योंकि हर राज्य में स्थिति अलग है। कई राज्यों ने कांस्टेबलों और सब इंस्पेक्टरों के लिए भर्ती के समय प्राथमिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अप्डेट किया है और साथ ही पुलिसिंग सम्बन्धी कई मुद्दों पर रिफ्रेशर और विषयक प्रशिक्षण मापांक तैयार किये हैं। जबकि दूसरी ओर कई राज्य अभी भी पुराने पाठ्यक्रम को ही अपनाए हुए हैं। पुलिस अनुसांधान एंव विकास ब्यूरो, जोकि देश में पुलिसिंग पर अनुसंधान के लिए नोडल ऐजेंसी है, उसने भी नए भर्ती हुए कांस्टेबलों और सब–इंस्पेक्टरों की प्राथमिक और बुनियादी प्रशिक्षण के लिए एक मॉडल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया है और इसके अलावा पुलिसिंग के कई विशिष्ट मुद्दों पर विषयक प्रशिक्षण मापांक (थीमेटिक ट्रेनिंग मॉडयूल) भी तैयार किये हैं। इन मॉडलों को अपनाने से बेहतरी आएगी और इससे पुलिसकर्मियों के कार्य–निष्पादन तथा ज्ञान के स्तर में सुधार आएगा। लेकिन समस्या यह है कि ब्यूरो या केन्द्र सरकार कानूनी रूप से किसी भी राज्य को इन मॉडल पाठ्यक्रमों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, वे केवल उन्हें ऐसा करने की सलाह दे सकते हैं। हांलाकि, ये मॉड्यूल अपने आप में सम्पूर्ण प्रशिक्षण पद्धति और सामग्री हैं।

प्रशिक्षण द्वारा मुख्य रूप से सॉफ्ट स्किल में सुधार लाने की भी आवश्यकता है क्योंकि अधिकतर यही शिकायत मिलती है कि पुलिस का व्यवहार जनता और पीड़ितों के साथ अच्छा नहीं होता वे अभद्र रूप से बात करते हैं, तो बुनियादी तौर पर उनके वार्तालाप के तरीके में शिष्टाचार को बढ़ाने के लिए तथा पूछ–ताछ के समय ऐसे तरीके सिखाने की आवश्यकता है जिससे पूछे जाने वाले व्यक्ति को अप्रसन्न किए बगैर उन्हें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए सबसे अधिक आवश्यकता है सॉफ्ट स्किल पर ध्यान देने की जिसमें पुलिसकर्मियों को व्याव्हारिक शिष्टता सिखाई जानी चाहिए।

जो नए कानून और उच्च न्यायालय के निर्णय आते हैं इसके बारे में थाना स्तर के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अप्डेट करने के लिए क्या इनका रिफ्रेशर प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए और यह कितने अंतराल पर होना चाहिए ?

हांलाकि, रिफ्रेशर प्रशिक्षण करना बेहद आवश्यक है लेकिन मानवसंसाधनों की कमी के कारण ऐसा कर पाना कठिन होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस प्रकार आप ***लोक पुलिस*** में इस प्रकार के कुछ अवयवों को प्रकाशित करती हैं इसी प्रकार राज्य पुलिस संगठन भी अपने–अपने जर्नल निकालें जिसमें कि न केवल नए कानून और अदालतों के निर्णय सम्मिलित किये जाएं बल्कि इसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए जाने वाले स्थायी आदेशों का भी समावेश हो। ऐसी पत्रिकाओं को आवधिक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। कई राज्यों में ऐसा हो भी रहा है जैसे कि आन्ध्र प्रदेश में 'सुरक्षा' नामक एक पत्रिका पुलिस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसके लिए एक सांकेतिक कीमत भी रखी गई है। इस पत्रिका के माध्यम से नियमित रूप से पुलिस के व्यक्तिव विकास, फोरेंसिक साईंस, सरकारी आदेश तथा डी.जी. पी. द्वारा कांस्टेबुलरी को संदेश प्रकाशित किया जाता है।

सर, हमें ज्ञात हुआ है कि आप थाना स्तर पर पुलिसकर्मियों के लिए शिफ़्ट व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कोई अध्ययन कर रहे हैं, कृपया इसके बारे में कुछ जानकारी दें। क्या आपके विचार में आठ घंटे की शिफ़्ट व्यवस्था से पुलिस के कार्य कौशल और कार्य निष्पादन में सुधार आएगा ? यदि 'हाँ' तो क्या वर्तमान परिस्थिति में जहाँ बल में मानव संसाधन की बेहद कमी है इस नीति को लागू कराया जा सकता है ?

पुलिसकर्मियों को सालों भर औसतन प्रतिदिन १०-१६ घण्टे काम करना पड़ता है और इसके बावजूद उन्हें कोई साप्ताहिक या सार्वजनिक अवकाश भी नहीं मिलता, न ही थानों में उचित सुविधाएं मिलती हैं। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति कुशल पुलिसिंग के लिए हितकर नहीं है न ही यह पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक जीवन के लिए अननुकूल है। कई विकसित देशों ने इसलिए अपने पुलिस बल में विभिन्न प्रकार की शिफ्ट व्यवस्था की शुरुआत की है। लेकिन भारत में जैसा कि आपने अवलोकन किया इस व्यवस्था को तुरंत नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की कमी है। लेकिन, अच्छी बात यह है कि हाल ही में पुलिस अनुसांधान एंव विकास ब्यूरो ने "पुलिस जनबल की ८ घण्टे शिफ्ट के लिए राष्ट्रीय आवश्यकता" पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरूआत की है जिसका मकसद है इस पद्धति को लागू कराने में जनबल और दसरे आवश्यक आशयों को मापना। मैं इस रिसर्च प्रोजेक्ट का संचालन कर रहा हूँ और रिसर्च प्रगति पर है।

आप थाना स्तर के स्टाफ के पर्यवेक्षण और नेतृत्व के लिए पुलिस अधिकारियों को क्या सलाह देना चाहेंगे ?

इस पर साक्षात्कार की सीमित समय अवधि में जवाब देना कठिन है। फिर भी, पर्यवेक्षण और नेतृत्व का मकसद स्टाफ को उच्चस्तरीय व्यावसायिक शुद्धता और मानव अधिकारों का पालन करते हुए कुशल व्यावसायिक कार्य निष्पादन की ओर ले जाना हो।

आप 'पुलिसिंग में गुणवत्ता' को किस रूप में देखते हैं, खासतौर पर थानास्तर के स्टाफ के संदर्भ में ?

सच पुछें तो पुलिसिंग में गुणवत्ता की अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसे कई तरीके भी हैं जिससे पुलिसिंग की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। उदाहरण के तौर पर हमारी कई सारी प्रक्रियाएं और कार्यविधियाँ हैं जो कि पुरानी हैं, जिन्हें अधिकाधिक मात्रा में आधुनिक मैनेजमेंट तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकि को शामिल करके दोबारा बनाए जाने की आवश्यकता है। देश के कई क्षेत्रों में कुछ उद्यमी पुलिस अधिकरियों ने इस पहलू पर ध्यान दिया है और अपने थानों के कार्यों में सफलतापूर्वक आई.एस. ओ. ९००१-२००० गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था को भी लागू कराया है। सबसे पहले ऐसा साईब्राबाद (आन्ध्रप्रदेश) के कई थानों में किया गया था जिसे बाद में राजस्थान और कई अन्य स्थानों पर भी लागू कराया गया।

वास्तव में, सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन

शेष भाग पृष्ठ २ पर :

बूझो और जीतो–७

प्रिय पाठकों,

लोक पुलिस पत्रिका द्वारा आपके लिए इस प्रतिस्पर्धा की शुरूआत जनवरी २०१२ में की गई थी। इसके अंतर्गत आपसे केवल ५ सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके काम से सम्बन्धित होते हैं। पहले २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाएगा और विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित किये जाएंगे।

आपके सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. क्या पुलिस अधिकारी किसी संज्ञय अपराध की शंका में उस अपराध को राकने के लिए किसी की गिरफ्तारी कर सकता है?

२. डी.के. बासू केस में कितने दिशा–निर्देश दिये गये हैं और वे किस विषय पर हैं?

३. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी केस की जाँच के लिए दी गई न्यूनतम अवधि कितनी है?

४. क्या मामूली मारपीट के केस में पुलिस पार्टियों में समझौता करा सकती है?

५. किन परिस्थितियों में अभियुक्त को हथकड़ी लगाई जा सकती है।

बूझो और जीतो – ४ का परिणाम

अप्रैल २०१२ के अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और सही जवाब भेजने वाले व्यक्ति का नाम इस प्रकार है।

उपरोक्त के सही उत्तर हैं :

१. जाँच के अंतर्गत थर्ड डिग्री या किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का उपयोग पुलिस, आरोपी या गवाहों पर किसी भी समय नहीं कर सकती।

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ४६(४) के अंतर्गत आमतौर पर किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर किसी विशिष्ट परिस्थिति के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो पुलिस को मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश लेना होगा।

३. द.प्र.सं की धारा ४३८ के अंतर्गत अग्रिम ज़मानत की अर्जी डाली जा सकती है। यह अर्जी केवल सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में डाली जा सकती है। पुलिस को इस प्रकार के जमानत में कोई अधिकार नहीं है।

४. आरोपी को गिरफ्तारी के २४ घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया जाना चाहिए। इसमें यात्रा में लगने वाला समय शामिल नहीं होगा।

५. किसी असंज्ञय अपराध की सूचना मिलने पर द.प्र.सं की धारा १५५ के अंतर्गत इसकी सूचना इस काम के लिए रखी गई नोटबुक में दर्ज करनी चाहिए और शिकायतकर्त्ता को एन.सी.आर. की कॉपी दे देनी चाहिए।

सही जवाब भेजने वाले केवल एक व्यक्ति हैं, जोकि इस प्रतियोगिता के विजेता हैं।

इनका नाम हैं :–

१. श्री रॉकी नारवाल,
निवासी बी–२७०, स्वरूप नगर,
नई दिल्ली–११००४२

नोट : विजेता को जुलाई के अंतिम सप्ताह तक चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा पुरस्कार की राशी भेज दी जाएगी।

अपना जवाब हमें लिखें या ईमेल करें –

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, ***लोक पुलिस***
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९
फैक्स : +९१-०११-२६८६४६८८
ई–मेलः *zeenatmalick@gmail.com*
वेबसाईटः *http://www.humanrightsinitiative.org*

पृष्ठ १ का शेष.....

के सिद्धांत को लागू करके बहुत सुधार किया जा सकता है। इस सिद्धांत में शामिल है –
(क) पुलिससेवा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति सजग प्रतिक्रियाशीलता बढ़ाना,
(ख)क्या करना है से हटकर कैसे करना है पर अपना फोकस केन्द्रित करना,
(ग) पुलिसिंग के विभिन्न घटकों में लगातार वृद्धिपूर्ण सुधार की कोशिश करना,
(घ) हर स्तर के स्टाफ में क्षमता निर्माण और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना।

क्या आपके विचार में मानव अधिकारों की सुरक्षा, पीड़ितों के लिए न्याय हासिल करने की राह में रुकावट डालता है ? इन दोनों में संतुलन कैसे लाया जा सकता है ?

मुझे लगता है कि अगर हम अपने कानूनों का निष्ठापूर्वक पालन करें तो मानव अधिकारों की सुरक्षा के साथ–साथ पीड़ितों के लिए न्याय पाने में कोई विरोध पैदा नहीं होगा। हमारी दण्ड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम मानव अधिकारों की सुरक्षा का न केवल जमाव है बल्कि पुलिस के काम के लिए इसमें सम्पूर्ण निबन्ध भी है।

आपके विचार में क्या कानून में कोई कमी है जिसकी वजह से पुलिसकर्मियों को अच्छे काम करने के लिए भी कानूनों को तोड़ना पड़ता है? पुलिसिंग की आंतरिक समस्याएं क्या हैं ?

मेरे विचार में वर्तमान कानूनों में शायद ही कोई कमी है, जिसके कारण पुलिसकर्मियों को कानून तोड़ना पड़ता हो। हांलाकि, हमारे कुछ कानून ऐसे हैं जो पुलिस पर सम्भावित अविश्वास का प्रतिबिम्ब हैं और यह न केवल पुलिस की कार्यक्षमता में विघ्न डालते हैं बल्कि कभी–कभी कुछ अधिकारियों को कानून तोड़ने पर भी मजबूर करते हैं। ऐसे प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता है। मैं खासतौर से साक्ष्य अधिनियम की धारा २५ जोकि पुलिस के सामने की गई गुनाह कबूली को भी अमान्य कहती है, में बदलाव की बात कर रहा हूँ। कुछ विशेष कानूनों के अंतर्गत इसमें संशोधन करके यह किया गया है कि एस.पी. स्तर के पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कबूली को मान्य समझा जाए। लेकिन, वह भी सामान्य कानूनों में नहीं जोड़ा गया है। इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६१ और १६२ में भी बदलाव की आवश्यकता है जहाँ पुलिस को दी गई गवाही पर गवाह के हस्ताक्षर कराने की अनुमति नहीं है और इस कारण अकसर गवाह अदालत में मुकर जाते हैं। वर्तमान समय के अपराधों से निपटने के लिए न केवल भारत में बल्कि सारे संसार में कड़े प्रक्रियात्मक कानून बनाने की और मूल कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। कई देशों ने इस आवश्यकता को समझकर अपने पुराने कानूनों में बदलाव किया है या फिर नए कानून बनाए हैं। हमें उनके उदाहरणों से कुछ सीखना चाहिए।

क्या आपको नहीं लगता कि अगर पुलिस के सामने दी गवाही को अदालत में मान्य करार दे दिया जाए तो पुलिस इसका दुरुप्योग करके आरोपियों को प्रताड़ित करेगी ?

आपको कहीं न कहीं पुलिस पर विश्वास करना ही होगा अन्यथा 'पुलिस सुधार' की बात करने का कोई अर्थ नहीं।

अगर आपको पुलिसिंग में बदलाव के लिए खुली छूट दे दी जाए, तो आप हर स्तर के पुलिस के कार्य निष्पादन की बेहतरी के लिए पुलिसिंग व्यवस्था में क्या बदलाव करेंगे ?

किसी कुशल पुलिस व्यवस्था की सबसे बुनियादी आवश्यकता है काम करने में पूरी स्वायगत्ता और मजबूत जवाबदेही यंत्रावली का होना। इसे प्राप्त करने के लिए छोटे बड़े कई बदलावों की आवश्यकता है। कुछ बदलाव तो स्वंय पुलिस संगठन के हाथ में है जबकि कुछ राजनैतिक कार्यकारिणी को करने पड़ेंगे।

ऐसे क्या कारण हैं जो पुलिसिंग में बदलाव नहीं हो पा रहे हैं? इस बदलाव के लिए क्या करने की आवश्यकता है ?

पुलिसिंग में बदलाव तभी सम्भव है जब देश की राजनैतिक व्यवस्था ऐसा चाहेगी। इसके लिए जनता की ओर से मांग बननी चाहिए कि हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो पुलिस में सुधार लाने की कोशिश करेगी।

अंत में, *लोक पुलिस* के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या यह थाना स्तर के अधिकारियों के ज्ञानवर्धन के लिए एक लाभदायक सामग्री है? इसकी लोकप्रियता और गुणवत्ता को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ?

लोक पुलिस पत्रिका अपने अस्तित्व के छोटे से अंतराल में कांस्टेबुलरी को शिक्षित करने के लिए वास्तविक रूप से एक बेहद प्रभावी स्रोत बनकर उभरी है। पुलिस के विभिन्न स्तरों में इसकी लोकप्रियता को देख बेहद सुख मिलता है। इस पत्रिका को सभी भारतीय भाषाओं में तथा अधिक संख्या में प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता है। इसके संचार के लिए अधिकाधिक संख्या में पुलिस संगठनों द्वारा सी.एच.आर. आई के सहयोग के लिए आगे आना अच्छा होगा।

मुल्जिम को न्यायालय में प्रस्तुत करना

अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् अभियुक्त को समय पर न्यायालय पर प्रस्तुत करना, लाना ले जाना तथा विभिन्न परिस्थितियों में अभियुक्त के साथ रहने पर पुलिस का यह परम् कर्तव्य बन जाता है कि वह अभियुक्त की पूर्ण रूप से देख–रेख करें। जब भी पुलिस द्वारा अभियुक्त के सम्बन्ध में लापरवाही की गई तभी उसके फरार होने या अभियुक्त द्वारा किसी घटना को अंजाम दिए जाने की बातें सामने आई हैं।

अस्पताल में

अभियुक्त यदि अपनी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती है तो मुल्जिम ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों का यह दायित्व बन जाता है वह प्रत्येक समय अभियुक्त को निगाह में रखें।

अभियुक्त अस्पताल के वार्ड में जिस बैड़ पर हो, अभियुक्त की निगरानी के लिए उसके बैड़ के आस पास ही रहें।

अभियुक्त के शौच आदि के लिए जाने पर उसे अकेला न छोड़ें। अभियुक्त को शौचालय अथवा स्नानघर में भेजने से पहले निरीक्षण करके यह सुनिश्चित कर लें कि वहाँ कोई खिड़की, खुला रोशनदान या अन्य कोई बाहर निकलने का दरवाजा तो नहीं है तथा स्वयं दरवाजे पर निगरानी करें। अभियुक्त को दवाघर या चिकित्सक के पास ले जाते समय हमेशा उसके साथ रहें उसे कदापि अकेला न छोड़े।

जेल में –

(१) अभियुक्त को पेश करते समय अभियुक्त को कठघरे में खड़ा कर स्वयं अभियुक्त के बगल में कठघरे से बाहर रहें व अभियुक्त की गतिविधियों पर ध्यान दें।
(२) न्यायालय के अन्दर जब तक अभियुक्त रहे उसे अकेला न छोड़ें।
(३) न्यायालय के पास कैन्टीन आदि में अभियुक्त को न ले जाये।
(४) अभियुक्त के पास कचहरी परिसर में अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति न आये न ही लोगों को वहाँ इकट्ठा होने दें।

मुल्जिम ड्यूटी रास्ते में

(१) गन्तव्य स्थान पहुंचने तक अभियुक्त पर कड़ी निगाह रखें।
(२) यदि हथकड़ी लगाकर अभियुक्त को ले जाया जा रहा हो, तो हथकड़ी लगाने के बाद पुनः चैक करें।
(३) हथकड़ी की चाबी मुल्जिम ड्यूटी वाले कानि0 के पास ही होनी चाहिए।
(४) रास्ते में हथकड़ी का रस्सा ड्यूटी कानि0 भलीभांति पकड़ा रहे।

रेल में

(१) ट्रेन छूटने से पहले प्रत्येक कोच का निरीक्षण अवश्य कर लें।
(२) रेल में सवारी करते समय अभियुक्त को अपने बगल में ही बिठाएं ताकि उसकी भली–भांति निगरानी हो सके।
(३) रेल में शौचालय बने होते हैं, अभियुक्त के शौचालय आदि जाने से पूर्व शौचालय को अवश्य चैक कर लें।
(४) जब अभियुक्त शौचालय में हो तो यह आवश्यक है कि अभियुक्त की हथकड़ी का रस्सा ड्यूटी कानि0 द्वारा शौचालय के बाहर से पकड़ा हो।
(५) रेल में यात्रा करते समय सोये नहीं।
(६) यदि रेल रास्ते में कही रूकती है, तो उसके रूकने के कारणों का पता लगाना चाहिए।
(७) रास्ते में पड़ने वाले स्थानीय थानों व अस्पतालों की जानकारी होनी चाहिए।

बस में

(१) बस में यात्रा करते समय अभियुक्त को अपने बगल में ही बिठाए ताकि उसकी भली–भांति निगरानी हो सकें।
(२) बस स्टैड या अन्य जगह वाहन रूकने पर यदि अभियुक्त को पेशाब आदि के लिए जाना हो तो अभियुक्त के साथ ही रहें। अभियुक्त की हथकड़ी का रस्सा भली–भांति पकड़ा होना आवश्यक है।
(३) बस में यात्रा करते समय सोयें नहीं।

अभिरक्षा से मुल्जिम का फरार होना या होने देना सम्बन्धी कानूनी प्रावधान

उद्देश्य:–

कानून की भाषा में हिरासत एवं अभिरक्षा शब्द पर्यायवाची शब्द है। पुलिस अधिकारी जिस व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेता है तो उस समय से उसकी स्वतंत्रता का अतिक्रमण हो जाता है लेकिन पुलिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिये जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसकी सुरक्षित हिरासत की जिम्मेदारी पुलिस की हो जाती है। हिरासत मे लिये व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान होने,या उसके हिरासत से मुक्त हो जाने मे पुलिस की जवाबदेही है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता:–

१. धारा ४६ – अनावश्यक अवरोध न करना:– किसी ऐसे व्यक्ति को पुलिस हिरासत में उससे अधिक अवरूद्ध न किया जाय, जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
२. धारा ५७ – गिरफ्तारी किये व्यक्ति को २४ घन्टे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में न रखना।

भारतीय दण्ड संहिता:–

१. धारा २२३ – लोकसेवक द्वारा किसी अभियुक्त या विधि पूर्वक हिरासत मे सौंपे गये व्यक्ति को उपेक्षा या लापरवाही से भाग जाने देना असंज्ञेय अपराध होगा।

(सौजन्य : उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा हर स्तर के प्रशिक्षाणार्थियों को दी जाने वाली एक अध्ययन पुस्तिका के कुछ अंश)

क्या आप जानते हैं ?

इस श्रृंखला के अंतर्गत, मई २०१२ अंक से हम गृह मंत्रालय द्वारा 'साम्प्रदायिक सद्भावना' संबंधित जारी दिशा–निर्देशों के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रृंखला की यह तीसरी कड़ी है।

इन दिशा निर्देशों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने का मकसद यह है कि आप इस पर अपना मत विकसित कर सकें और इनका कितना पालन आपके राज्य में दिखाई पड़ता है इसका निरीक्षण कर सकें। अपने राज्य की स्थिति और इन दिशा निर्देशों के पालन की स्थिति से हमें भी अवगत करायें।

साम्प्रदायिक सद्भावना पर दिशा–निर्देश

४. कर्मचारी नीति

४.१. पुलिस बल का गठन, खासकर जिनकी नियुक्ति साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हो, उनमें उस क्षेत्र के सामाजिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जा सके और उससे सभी वर्ग के लोगों में विश्वास पैदा हो सके।

४.२. समय–समय पर सुझाए गए निम्नलिखित उपायों को लागू किया जाना चाहिए :–

(क) साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए।

(ख) संयुक्त बटालियन का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों जैसे कि अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनका उपयोग संवेदनशील क्षेत्रों में साम्प्रदायिक शांति और मित्रता स्थापित करने के लिए किया जा सके।

(ग) पुलिस बल के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा इसलिए की जानी चाहिए ताकि उनमें धर्म–निरपेक्षता और साम्प्रदायिक अनुरूपता के रुझान को अंतर्निविष्ठ किया जा सके, और राज्य पुलिस बल के सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण/अनुकूलन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

(घ) सिविल प्रशासन और सेना के बीच भी सरल कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

४.३. चिकित्सीय सहायता टीम का गठन जहाँ तक सम्भव हो इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इसमें सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। इस टीम को न केवल तकनीकी रूप से निपुण होना चाहिए बल्कि इसके सदस्यों में पीड़ितों के लिए सच्चाई और समानुभूति के गुण भी होने चाहिए।

४.४. साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा प्रवृत्त क्षेत्रों में, पुलिस और प्रशासन के उन अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिनमें सिद्ध ईमानदारी, कुशलता, निष्पक्षता तथा पक्षपात रहित नज़रिया हो।

४.५. प्रत्येक जन सेवक द्वारा उसके कानूनी अधिकारों का उपयोग साम्प्रदायिक दंगों को रोकने, साम्प्रदायिक हिंसा पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने या कराने में कठोरता से निष्पक्षता का पालन करना चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार के गलत कार्य या भूल के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा साम्प्रदायिक गड़बड़ी को दूर करने के लिए दी गई सेवाओं के लिए उचित मान्यता दी जानी चाहिए।

५. वी.आई.पी. / उच्च पदाधिकारियों द्वारा वीक्षण

५.१. साम्प्रदायिक गड़बड़ी के दौरान, जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए कई वी.आई.पी./राजनैतिक उच्च पदाधिकारियों द्वारा इन क्षेत्रों का वीक्षण किया जाता है। ऐसे में वांछित है कि सभी के द्वारा आवश्यक सावधानी बरती जाए ताकि स्थानीय प्रशासन द्वारा कानून–व्यवस्था कायम रखने के उपायों और सहायता ऑपरेशनों आदि को योजना के अनुसार पूरा किया जाना सुनिश्चित हो सके।

६. हितकारों की सहभागिता

६.१. साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, अगर परिस्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है और हिंसा या अगजनी की घटना होती है तो छोटे दुकानदार, व्यापारी और दैनिक मज़दूरों को जान व माल का सबसे अधिक नुकसान होने का खतरा होता है। सम्पत्ति के नुकसान के कारण जिसमें अधिकतर का कोई बीमा भी नहीं होता, उनके द्वारा आर्थिक बोझ के भार को झेलने की सम्भावना सबसे अधिक होती है। इसलिए ऐसे लोग उस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सबसे ईच्छुक सहभागी हो सकते हैं। इसी प्रकार, महिलाएं जोकि ऐसी परिस्थिति में बुरी तरह पीड़ित होती हैं, वे भी साम्प्रदायिक सौहार्द कायम करने की ईच्छुक हो सकती हैं। जिला प्रशासन, इन लोगों की शक्तियों और संसाधनों को शांति सुनिश्चित करने के लिए उपयोग कर सकती है।

६.२. देश में ऐसे कई स्वयंसेवी संगठन हैं जो शांति, राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे संगठनों के पास अभिप्रेरित और अच्छी नियत वाले स्वंययेवक और कर्मचारी होते हैं। जिला प्रशासन के पास ऐसे संगठनों का उचित डाटाबेस होना चाहिए और इनसे सहायता लेना चाहिए और साम्प्रदायिक सौहार्द फैलाने और साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होने पर उसे कम करने की उनकी कोशिशों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

६.३. उपरोक्त के बावजूद, संगठनों को शामिल करने का मुद्दा खासकर सहायता पहुँचाने के काम में अकसर कलह का कारण और विवादास्पद रहा है। इसलिए इनके सहयोग के बारे में एक स्टैंर्डड ऑपरेटिंग सिस्टम (एस.ओ.पी.) तैयार किया जाना चाहिए।

७. प्रेस / मीडिया और जागरूकता फैलाना

७.१. साम्प्रदायिक सौहार्द और शांति के मुद्दे को बढ़ावा देना प्रशासन का एक निरंतर प्रयास होना चाहिए। इसके लिए समय–समय पर एक मल्टी मीडिया प्रचार और प्रसार मुहिम के बनाए जाने की आवश्यकता है।

७.२. साम्प्रदायिक सौहार्द की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए "उन्हें युवा पकड़ें" का सिद्धांत अपनाना चाहिए। सरकारी और प्राईवेट स्कूल के छात्रों में प्रेरक साहित्य बाँटना चाहिए, और उन्हें साम्प्रदायिक सौहार्द के मुद्दे पर बातचीत और प्रतिस्पर्धा का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेशनल सर्विस स्कीम के स्वंयसेवकों के इसमें शामिल किये जाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

७.३. अगर कोई साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है तब, मीडिया के लोगों के साथ जिम्मेदारी के स्तर पर सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए। इसका मकसद है मीडिया को सच्चाई से अवगत कराना ताकि वह काल्पनिक रिपोर्ट न प्रकाशित करें जिससे कि अफवाहों को हवा मिले और समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचे। अकसर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी एक घटना की तस्वीर लगातार दिखाई जाती है जिससे कि उस घटना के बारे में भ्रामक धारणा उत्पन्न होती है और इससे गुस्सा और उत्तेजना भड़कने की सम्भावना होती है। इस संदर्भ में मीडिया से नियमित विवरण और निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

— प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

आपके विचार

सम्पादक महोदय,
नमस्कार!

मैंने अप्रैल २०१२ का अंक पढ़ा और इसके अतंर्गत 'अपराध स्थल की जाँच और नमूना एकत्रित करने' पर छपे लेख से इसके बारे में बारीकी से जानकारी मिली। ऐसे शोध पर आधारित लेखों का समावेश बेहद लाभदायक है।

आपसे अनुरोध है कि पुलिस से सम्बन्धित विभिन्न राज्यों में दी जाने वाली कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रकाशित करें।

साथ ही आशा है इस प्रकार अन्य विषयों पर भी लेख प्रकाशित किया जाएगा।
शुभकामनाओं के साथ!

हेड कांस्टेबल, भोपाल
सदस्य, मध्य प्रदेश पुलिस

श्रीमान,
लोक पुलिस पत्रिका में मैंने कई बार अपना जवाब भेजा है लेकिन अब तक मेरा नाम *बूझो और जीतो* में नहीं चयनित हुआ है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ।

आशा है इसका संतोषजनक उत्तर प्रदान किया जाएगा।

सब–इंस्पेक्टर, बिहटा पुलिस
सदस्य, बिहार पुलिस

लोक पुलिस : आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न का जवाब यह है कि *बूझो और जीतो* के लिए प्राप्त सभी पत्र जिनके जवाब सही होते हैं, एकत्रित करके उसमें से ड्रॉ निकाला जाता है क्योंकि केवल दो लोगों को ही पुरस्कार की राशी भेजी जा सकती है। इसलिए शायद अभी तक आपका नाम नहीं चयनित हुआ है। हम आशा करते हैं कि जल्द ही आपके नाम की प्रविष्टि भी ड्रॉ में निकल आए।
धन्यवाद!

हम, *लोक पुलिस* के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, *लोक पुलिस* में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

महिला पुलिसकर्मी अधिक ईमानदारी का प्रतीक!

मुंबई पुलिस की प्रशासनिक सुधार कमिटी ने मई महीने में पुलिस के काम का सर्वेक्षण किया और कई सिफारिशें भी की। दरअसल, यह कमिटी पुलिस कमिश्नर श्री अरूप पटनायक द्वारा गठित की गई थी। इस कमिटी में दो ज्वायंट कमिशनर और ४ डी.सी.पी. शामिल हैं। इसका एक निरूपण यह है कि महिला ट्रैफिक कांस्टेबल अधिक ईमानदार और सभ्य हैं। एक वरिष्ठ आई.पी.एस. अफ़सर ने कहा कि 'हमारी रिफॉर्म कमिटी का आम मत यह है कि महिला कांस्टेबल काम के प्रति अधिक समर्पित और विनम्र होती हैं इसलिए उन्हें ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ जनता से पुलिस का सम्पर्क सबसे अधिक होता है। अगर वे अच्छी तरह बर्ताव करेंगी तो इससे पुलिस की छवि में सुधार आएगा।'

पुलिस ने यह भी निर्णय लिया है कि ८०० महिला कांस्टेबलों को स्थानीय शस्त्र विभाग में तैनात किया जाएगा क्योंकि वहाँ इनकी संख्या काफी कम है। इस सुधार कमिटी ने यह भी सिफारिश की है कि महिलाओं के लिए एक अलग शाखा बनाई जाए जिसमें उनके लिए विशेष सुविधा जैसे कि शिशु सदन की स्थापना की जाए।

इस पैनल ने वरिष्ठ अधिकारियों के निजी सेवा के लिए उनके घरों पर तैनात पुलिसकर्मियों को हटाने की भी सिफारिश की है। प्रत्येक डी.सी.पी. आदि के घर पर ३-४ कांस्टेबलों की तैनाती की गई है और यह सरासर गैर कानूनी है। कुल १०० से भी अधिक पुलिसकर्मी इस तरह तैनात किये गये हैं जबकि दूसरी ओर बल में पुलिसकर्मियों की बेहद कमी है। इस कमिटी द्वारा एक और तथ्य को उजागर किया गया कि बल में तकरीबन १५०० पुलिसकर्मी अस्वस्थ और अयोग्य हैं, उन्हें दीर्घकालीन बीमारियाँ हैं या तो शराब पीने की लत लगी हुई है। वर्तमान समय में ये सभी थानों में तैनात हैं लेकिन कमिटी ने ऐसे पुलिसकर्मियों को शस्त्र विभाग में भेजने की सिफारिश की है। एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि 'पैनल ने महसूस किया है कि इन कांस्टेबलों का कार्य-निष्पादन नगण्य है और वे पुलिस की छवि खराब करने के जिम्मेदार हैं। जब उन्हें शस्त्र विभाग में तैनात कर दिया जाएगा तो आम आदमी से उनका सामना कम होगा।'

इस पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि पुलिस की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए जिन कांस्टेबलों और जूनियर अधिकारियों ने एक स्थान पर ६ वर्ष से अधिक समय बिता दिया है उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए।

प्रशासनिक सुधार कमिटी द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू करने के बाद मुंबई पुलिस की छवि थोड़ी बेहतर होने की आशा तो की जा सकती है लेकिन केवल ट्रैफिक पुलिस द्वार जनता के साथ भद्र व्यवहार करने से इसकी केवल एक शाखा पर ही जनता का विश्वास बढ़ेगा जबकि आवश्यकता है सम्पूर्ण बल की मानसिकता को जनमैत्री बनाने की, जिसके लिए पुलिसकर्मियों को आपसी संचार पर प्रशिक्षण भी दिलवाया जाना चाहिए।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम १८ मई २०१२)

हरियाणा-महिलाओं और बच्चों को थाने में बुलाने पर प्रतिबंध

हरियाणा के डी.जी.पी. श्री आर. एस.दलाल ने जून में, राज्य के सभी थानों को निर्देश जारी करके कहा था कि थाने में पूछताछ के लिए महिलाओं और बच्चों को न बुलाया जाए। श्री दलाल के अनुसार ऐसा निर्देश देने का मकसद था महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

दरअसल, हरियाणा पुलिस इस समय रोहतक के 'अपना घर' स्कैन्डल केस में पुलिस की कथित भूमिका के सन्दर्भ में परीक्षण के दायरे में है। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित शेल्टर होम में वहाँ के सहवासियों (जिनकी उम्र ४-६० वर्ष) के साथ विभिन्न प्रकार के यौन शोषण, बलात्कार, जबरन गर्भपात, अनैतिक यौन सम्बन्ध आदि के केसों में इसकी प्रभारी जसवंती और उसके रिश्तेदारों के अलावा प्रदेश के पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जैसा कि पंजाब व हरियाण उच्च न्यायालय द्वारा गठित ४ वकीलों की एक कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में १०१ सहवासियों के साक्षात्कार के आधार पर बताया है।

राज्य पुलिस द्वारा इस जघन्य अपराध में भागीदारी करना और स्वंय अपराधों को अंजाम देना अपने आप में बेहद दुखद है और विभाग को अभिज्ञात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध तुरंत विभागीय कार्यवाही करना चाहिए। साथ ही, इस परिपेक्ष में राज्य के डी.जी.पी. द्वारा दिया गया यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६० के प्रतिबन्ध की केवल पुनःपुष्टि करता है जिसके अनुसार १५ साल से कम उम्र के बच्चे और महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने में बुलाने की मनाही है।

आश्चर्य और दुःख की बात है कि पुलिसकर्मी इस निर्देश को एक विशिष्ट वर्ग को छुटकारा देने के रूप में देख रहे हैं। इससे एक और बात सिद्ध होती है कि इस आदेश के पहले पुलिस इस प्रक्रियात्मक बाध्यता को नकारती रही है।

आशा है और बेहद आवश्यक भी है कि राज्य पुलिस मूलभूत कानूनों का पालन करे ताकि इसकी उपलब्धता के बावजूद ऐसे आदेशों की जरूरत ही न पड़े।

(सौजन्य : ज़ी न्यूज डॉट इंडिया डॉट कॉम २४ जून २०१२)

पुलिस से शिकायत के लिए नई सुविधा

केरल में जनता को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। देश में पहली तरह की इस जनमैत्री सुविधा की शुरूआत 'सुथरया केरलम प्रोजेक्ट' के अंतर्गत की गई है। पुलिस को आशा है कि इस सुविधा का उपयोग अधिकतर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों द्वारा किया जाएगा।

इसके अंतर्गत शिकायतकर्त्ता अपनी शिकायत लिख कर 'जनसेवना केन्द्रम' में जमा कर सकते हैं जहाँ से अधिकृत अधिकारी द्वारा इस शिकायत को स्कैन करके सम्बन्धित थाने में भेज दिया जाएगा। इस शिकायत की एक रसीद और सम्बन्धित थाने का फोन नम्बर शिकायतकर्त्ता को दिया जाएगा।

निश्चय ही केरल पुलिस की ओर से जनमैत्री पुलिसिंग की ओर यह एक और कदम होगा।

(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम २५ जून २०१२)

तेरे सामने आसमाँ और भी है!

व्यक्तिव की सृजनात्मकता और अपने नियमित काम के अलावा कुछ विशेष कर गुज़रने की चाह अगर मन में हो तो वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल जो आम तौर पर काम का मारा और बेचारा ही दिखाई पड़ता है, किसी अवरोध को अपनी मकसद के बीच नहीं आने देता। ऐसे ही भीड़ से अलग गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश के एक कांस्टेबल हैं श्री के. सरीहारी जोकि अपने नियमित काम के अलावा लोगों में कुछ अहम मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए अपने कैमरे का उपयोग करके डाक्यूमेन्टरी फिल्म बनाते हैं। इन्होंने इस प्रकार की दो फिल्में एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम पर बनाई है और अब तीसरी बार ऑटोरिक्शा में होने वाली चोरी के मुद्दे पर और इससे बचाव के उपायों को दर्शाने के लिए भी 'पुरुलारा पाराहुशर-१११' नामक फिल्म बना रहे हैं, इसकी शुरुआत एस.पी. श्री आके रविकृष्णा और श्री जे. सत्यनारायण के द्वारा ४ जुलाई को पुराने गुन्टूर के ट्रैफिक थाने में की गई और इसे गुन्टूर के आस पास के क्षेत्रों में ही फिल्माया जाएगा।

श्री सरिहारी, गुन्टूर देहात के जिला अपराध रिकॉर्ड ब्योरो में फोटोग्राफर के पद पर काम करते हैं। उनके अनुसार "अधिकतर लोगों को चोरी के बारे में तब तक कोई अनुमान नहीं होता जबतक कि वास्तव में वे उसका शिकार नहीं हो जाते। मैं उन लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि किस प्रकार वे इन चोरों के हत्थे चढ़ जाते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं।"

इस फिल्म में ड्रामा करके ऐसे काल्पनिक दृश्यों को दिखाया जाएगा और इसके लिए स्थानीय कलाकारों तकनीकी जानकारों की मदद भी ली जा रही है।

श्री सरिहारी के उत्साह को देखकर आम तौर पर निचले स्तर के पुलिसकर्मियों द्वारा अपने नियमित कार्यों को ठीक से न पूरा करने के लिए समय के अभाव की बात करना केवल एक बहाना ही लगता है। सबको इन जैसे पुलिसकर्मियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।

(सौजन्य : द हिन्दू डॉट कॉम ५ जूलाई २०१२)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-१७, दूसरा तल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org